भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5463

05 अप्रैल, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र के लिए भविष्य की विकास योजना

5463. श्री सुनील कुमार मंडल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में इस्पात क्षेत्र से अर्जित कुल राजस्व का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस्पात क्षेत्र की नई योजनाओं/नीतियों के लिए किए गए निवेश के प्रतिशत का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इस्पात क्षेत्र के लिए भविष्य की कोई विकास योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार राजस्व आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है। हालांकि, एचएसएन अध्याय 72 (इस्पात क्षेत्र) और एचएसएन अध्याय 73 (इस्पात क्षेत्र) से कुल बीसीडी (मूल सीमा शुल्क) और आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) में आयातों से प्राप्त राजस्व के आंकड़े एकत्र किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

अध्याय 72 (लौह एवं इस्पात) के लिए आयात से संबंधित राजस्व के आंकड़े

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (अप्रैल-फरवरी)**
बीसीडी	1,635	1,356	1,217	1,685
आईजीएसटी	12,588	9,906	15,743	22,195
स्रोत: एडीवीएआईटी (डीजी सिस्टम, सीबीआईसी), सभी आंकड़े करोड़ रुपये में				

अध्याय 73 (लौह एवं इस्पात) के लिए आयात से संबंधित राजस्व के आंकड़े

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (अप्रैल-फरवरी)**
बीसीडी	1,796	1,577	2,157	2,380
आईजीएसटी	4,687	3,989	5,139	5,314
स्रोत: एडीवीएआईटी (डीजी सिस्टम, सीबीआईसी), सभी आंकड़े करोड़ रुपये में				

(ख) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। भारतीय इस्पात कंपनियाँ वाणिज्यिक तथा बाजार की परिस्थितियों के आधार पर अपने खुद के निर्णय लेती हैं। सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाती है।

तथापि, सरकार ने इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति को अधिसूचित करना।
ii. सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।
iii. घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।
iv. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने तथा जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को जारी करना।
v. इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के माध्यम से इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण को अधिदेशित करना।
vi. 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।
vii. उद्योग संघों तथा स्वदेशी इस्पात उद्योग की अग्रणी कंपनियों सहित इस्पात उत्पादकों के साथ संवाद करना ताकि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।
viii. देश में इस्पात के उपयोग तथा इस्पात की समग्र माँग को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान उपयोगकर्ताओं को शामिल करना।

****